न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/01/2022	2022/02	10.01.2022	27.06.2023

1. बबली पुत्र श्री बालाराम जाति खटीक, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रैणी दिनांक 30.11.1991 नामान्तकरण विरासत संख्या 208 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी

उपस्थितः—

01. श्री अजीत कुमार यादव — वकील अपीलाण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 30.11.1991 नामान्तकरण विरासत संख्या 208 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नं0 4734 रकवा 0.29 है0, 4735 रकवा 1.35 है0 कुल किता 02 कुल रकवा 1.64 है0 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट के पिता श्री बालाराम पुत्र मंगला जाति खटीक निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट के पिता बालाराम का स्वर्गवास हो गया। जिनकी विरासत का आलौच्य नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 30.11.1991 को रैस्पो0 नायब तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम बबली पुत्र स्व0 श्री बालाराम जाति खटीक निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान है तथा मिन अपीलान्ट के पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी मिन अपीलान्ट का नाम बबली है। लेकिन आलौच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रैस्पो0 द्वारा बिना वारिसान के सही नाम की जांच किये, मिन अपीलान्ट का नाम विनोद दर्ज कर दिया गया है। जो कि कानूनन गलत है। जिस गलत अंकन की जानकारी मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुई है। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम को कलमजन कर उसके स्थान मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम बबली दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है और अपीलान्ट को उक्त आराजी पर ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड आदि जारी कराने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए अपील पेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

करना अतिआवश्यक हुआ है। मिन अपीलान्ट को पूर्व में उक्त आज्ञा नायब तहसीलदार रैणी दिनांक 30.11.1991 नामान्तकरण विरासत संख्या 208 ग्राम रैणी की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2021 को हुई। जब पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। अधिनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो नकल दिनांक 05.01.2022 को प्राप्त हुई। दिनांक 05.01.2022 को वकील से कानूनी राय ली गई। वकील साहब ने अपील करने की राय दी। आज यह अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 23.12.2021 के अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने आज्ञा पारित की गई है, यहाँ मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में है। देरी के लिए जेर दफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से पेश है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट को दिनांक 23.12.2021 को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब का कारण नेक नियति पर आधारित होने से जेर दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत विरासत नामान्तकरण संख्या 208 में मृतक बालाराम पुत्र मंगला कौम खटीक की विरासत में अपीलान्ट का नाम विनोद दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम बबली है। अपीलान्ट ने सही नाम के दस्तावेज आधार कार्ड, मेडिकल विभाग के द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र एवं राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये उक्त सभी दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम बबली पुत्र बालाराम दर्ज है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.1991 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.1991 विरासत नामान्तकरण संख्या 208 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मेडिकल विभाग के द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की भलीभांति जांच कर एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रैणी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)